राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1736 **/2023** **दिनांक : -** 03. **06.2023**

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (न्याय) प्रकोष्ठ, जयपुर के आदेश क्रमांक प.11.(3) न्याय/2002, दिनांक 08.09.2005 सपठित राजकीय सेवा नियम 1951 के नियम91-ए के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा के अधिकारीगण को दिनाँक 01.04.2000 से **दो वर्षो** के प्रत्येक ब्लाक में अधिकतम **30 दिवस** के उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान अनुज्ञेय किया गया है। अत: निम्न वर्णित अधिकारी को उनके आवेदनानुसार अधोलिखित तालिकानुसार उपार्जित अवकाश का **नकद भुगतान स्वीकृत किया जाता है।** जिसकी प्रविष्टी सम्बन्धित अधिकारी की सेवा पुस्तिका में कर दी गई है।

क्र. सं.	*नाम अधिकारी एवं पदनाम*	*समर्पित अवकाश के दिनों की संख्या*	*ब्लॉक वर्ष*	*समर्पित अवकाश की दिनांक*
01.	***श्री भूपेन्द्र कुमार मीना*** **(RJ00540),** अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–01, जयपुर जिला, जयपुर।	*30*	*2022 - 2024*	***10-05-2023***

आज्ञा से,

02.06.2023

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/74/2005/ 3683 दिनांक: 03.06.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एंव विधिक कार्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर।
3. ***श्री भूपेन्द्र कुमार मीना*** **(RJ00540),** अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम–01, जयपुर जिला, जयपुर।

02.06.2023

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

02.06.23